दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 29-06-2025

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रख पति की अपील खारिज की

पत्नी के गर्भपात को क्रूरता बता तलाक मांगा, कोर्ट बोला- माफ कर दोबारा साथ रहे, अब दावा गलत

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

पत्नी द्वारा गर्भपात कराने को क्रूरता बताकर तलाक मांगने वाले पति की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा है कि पति यदि कथित क्रूरता को माफ कर पत्नी के साथ दोबारा रहने लगा था, तो अब वही आरोप तलाक का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि पति के आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, बल्कि गर्भपात भी उसकी सहमति और खर्च पर हुआ था।

रायपुर निवासी दंपती की शादी नवंबर 2005 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी, इसमें बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। वह संयुक्त परिवार में रहने को तैयार नहीं थी। उसकी सहमति के बिना गर्भपात करवा लिया और बाद में दोबारा गर्भवती होने पर धमकी दी कि अगर वह परिवार अलग नहीं हुआ तो फिर से गर्भपात करा लेगी। पति ने इसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की।

पत्नी ने कहा- पति ने ही दवा दी

पत्नी ने पति के सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह शराबी है। हमेशा मारपीट करता था और उसने ही जबरन दवा देकर दो बार उसका गर्भपात कराया। इलाज के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। बीमार होने पर मायके भेज देता था।